भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1280**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**राजेश बिंदल समिति की सिफारिशें**

**1280. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राजेश बिंदल समिति ने हेग संधि के विरुद्ध सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत असंगत विवाह का त्याग करने वाली महिलाओं के हित में सन्‍धि की अभिपुष्टि नहीं करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : इस मुद्दे के विभिन्‍न पहलुओं की जांच करने और उन पर टिप्‍पणी करने के लिए चंडीगढ़ न्‍यायिक अकादमी, चंडीगढ़ के प्रमुख की अध्‍यक्षता में एक बहु-सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया है । न्‍यायमूर्ति बिंदल समिति द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. समिति ने प्रस्‍ताव रखा है कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एक इंटर-कन्‍ट्री पेरैन्‍टल चाइल्‍ड रिमूवल डिस्‍प्‍यूट रिसोल्‍यूशन एथॉरिटी होनी चाहिए, जो अंतरदेशीय अभिभावक बाल हस्‍तांतरण से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक निकाय होगा । प्राधिकरण का प्रमुख सर्वोच्‍च न्‍यायालय अथवा उच्‍च न्‍यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश/प्रमुख न्‍यायाधीश होना चाहिए और बेहतर समन्‍वयन के लिए सदस्‍यों के रूप में विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों से पदेन सदस्‍य होने चाहिए ।
2. प्राधिकरण को अनबन के शिकार पति-पत्‍नि के झगड़ों के निपटान के लिए पहले उपाय के रूप में मनन-चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए ।
3. माता या पिता में से किसी एक द्वारा बच्‍चे को एक देश से दूसरे देश लाने-ले जाने के संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई को अपराध माना जाना चाहिए । प्रत्‍येक मामले की गुणवत्‍ता के आधार पर जांच की जानी चाहिए ।
4. प्रस्‍तावित कानून के अंतर्गत कामकाज की मानीटरिंग के काम में राज्‍य कानूनी सेवा प्राधिकरणों तथा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को शामिल किया जाना चाहिए ।

 भारत ने अब तक बाल अपहरण पर हेग कन्‍वेंशन पर हस्‍ताक्षर नहीं किए हैं ।

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*